सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

15 JYESHTH, 1945 (S)

No. 325

RANCHI, MONDAY 5th JUNE, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

5th June, 2023

Notification No.- 6/2023 – State Tax

S.O. No. 20, Dated 5th June, 2023:-In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered persons who failed to furnish a valid return within a period of thirty days from the service of the assessment order issued on or before the 28th day of February, 2023 under sub-section (1) of section 62 of the said Act, as the classes of registered persons, in respect of whom said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, if such registered persons follow the special procedures as specified below, namely,-

(i) the registered persons shall furnish the said return on or before the 30th day of June 2023;

(ii) the return shall be accompanied by payment of interest due under sub-section (1) of section 50 of the said Act and the late fee payable under section 47 of the said Act,

irrespective of whether or not an appeal had been filed against such assessment order under section 107 of the said Act or whether or not the appeal, if any, filed against the said assessment order has been decided.

2. This notification shall be deemed to be effective from 31st Match, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

(Vipra Bhal)
Secretary,
Commercial taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

5 जून, 2023

अधिसूचना सं०.6/2023- राज्य कर

एस. ओ. सं. 20, दिनांक 5 जून, 2023 - झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिश पर यह अधिसूचित करती है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन तारीख 28 फ़रवरी, 2023 को या उससे पहले जारी किए गए निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिनों अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्गों के रूप में जिनके संबंध में उक्त निर्धारण आदेश वापस लिया गया समझा जाएगा, यदि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रियाओं का पालन करते हैं,अर्थात्:-

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 30 जून, 2023 को या उससे पहले उक्त विवरणी प्रस्तुत करेंगे;

(ii) विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन देय ब्याज के भुगतान और उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस के संलग्न होगी,

यह ध्यान दिए बिना कि क्या कोई अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन ऐसे निर्धारण आदेश के विरूद्ध फाइल की गई है या नहीं या उक्त निर्धारण आदेश के विरूद्ध फाइल की गई अपील यदि कोई हो, निर्णित की गई है या नहीं।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 2023 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(विप्रा भाल)

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 325 -- 50